सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 28, गुरूवार, *शाके* 1945-मई 18, 2023 *Vaisakha 28, Thursday , Saka 1945- May 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2023

संख्या एफ. 4(44)/कृषि (ग्रुप-2)/2019 :-इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.12.2019 से जारी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2019 जिसे आगे योजना कहा गया है, में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः-

1. योजना प्रस्तावना में अंकित अभिव्यक्ति ''एवं मौजूदा प्रसंस्करण इकाई के नवीनीकरण, विस्तार तथा विविधीकरण'' को विलोपित किया जाता है।
2. योजना के प्रावधान संख्या 2 परिभाषाए में अंकित ''कृषक'' परिभाषा को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

''कृषक'' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन के गत तीन वर्षों से एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करता हो एवं सक्रिय रूप से फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आर्थिक तथा आजीविका गतिविधियों में संलिप्त हो। ''

3. योजना के प्रावधान संख्या 4(अ) -1. पूंजी निवेश अनुदान की सारणी में अंकित अभिव्यक्ति ''50%'' को अभिव्यक्ति ''75%'' से एवं अभिव्यक्ति ''25%'' को अभिव्यक्ति ''50%'' से तथा अभिव्यक्ति ''100'' एवं अभिव्यक्ति ''50'' को अभिव्यक्ति ''150'' से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति '' (i) कृषक या उनके संगठन'' को अभिव्यक्ति '' (i) कृषक या उनके संगठन एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली परियोजना'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. योजना की परिशिष्ठ (i)मे अंकित अभिव्यक्ति ''कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाईयां'' को अभिव्यक्ति ''मशरूम उत्पादन, बायो-चार और पैलेटस में कृषि अपशिष्ट का प्रसंस्करण'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
5. योजना की परिशिष्ठ (i) मे ढांचागत परियोजनाएं में अंकित अभिव्यक्ति ''वेयरहाउसं'' को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।